न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 40/2021 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार पुत्र स्व. श्री शेर सिंह यादव, नि0 34 अल्कापुरी–ए, मुरलीपुरा जयपुर–302039, प्र.अ./भू.अ./समाधान/सतक राज.सम्पर्क पोर्टल

GCMS No-2021/81

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
27.7.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/राजस्थान सम्पर्क पोर्टल/सतर्कता/समाधान/भू0अभिलेख अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत दिनांक 12.4.2021 को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जो अति0 जिला कलेक्टर स0मा0 के पत्रांक एफ. 2(84)सूकाअ/2021/796–803 दिनांक 22.4.2021 को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/राजस्थान सम्पर्क पोर्टल/सतर्कता/समाधान/भू0अभिलेख अनुभाग को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गयाः– 1. यह है कि दिनांक 12.2.2021 को ख0न0 544/1 की तरमीम बाबत दौलतपुरा ग्राम के एडीएम सवाईमाधोपुर को श्रीमति राजरानी यादव की ओर से प्रस्तुत परिवाद एवं वांछित रिपोर्ट उस परिवाद पर पर उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा की गयी कार्यवाही एवं रिपोर्ट प्रेषित उपजिला कलेक्टर द्वारा एडीएम स0मा0 की प्रमाणित प्रति मय संलग्नक की प्र0प्रति। 2. यह है कि दिनांक 23.3.3021 को जन सुनवायी के दौरान ग्राम दौलतपुरा मे मा0 एडीएम सवाईमाधोपुर को अजीत शेखावत, मांगीलाल ,गिर्राज, मदन व रामजीलाल गुर्जर तथा प्रहलाद, बृजमोहन व गजानन्द द्वारा प्रस्तुत परिवाद की प्रति एवं उस परिवादो पर की गयी कार्यवाही एवं प्राप्त जॉच रिपोर्ट की प्र0प्रति। 3. यह है कि दिनांक 11.6.2020 की सतर्कता समिति की कार्यवाही रिपोर्ट की प्र0प्रति। 4. यह है कि जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के समाधान प्रकोष्ठ (506)/2019/913 दिनांक 18.3.2019, 1816 दिनांक 4.7.2019 के संबंध में आज तक प्राप्त पालना रिपोर्ट मय परिवाद की प्रमाणित। 5. यह है तहसीलदार खण्डार द्वारा मु.न. 185/2021,186/2021, 61/19,308/20,187/2021 क्रमशः विरूद्व रामचरण, मांगीलाल एवं राजेन्द्र पुत्र मांगीलाल की सम्पूर्ण पत्रावली व 91एलआर एक्ट की प्रमाणित प्रति। 6. यह है कि वि0स0 2076 रबी सीजन ग्राम कटार के ख0न0 362/1 के संबंध में रामचरण गुर्जर के विरूद्व 91 एलआरएक्ट के पूर्ण पत्रावली एवं प्रकरण में जारी दिनांक 20.3.2020 के गिरफ्तारी वारण्ट एवं स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट की प्रति तथा इसी प्रकार उक्त आरोपी/अतिक्रमी रामचरण पुत्र लडडू गुर्जर के संबंध में 91 एलआरएक्ट के तहत खरीफ सीजन वि0स0 2077 मे दर्ज प्रकरण संख्या 137/2020 की सम्पूर्ण पत्रावली व जारी गिरफ्तारी वारण्ट की प्रति तथा दिनांक 24.11.2020 के उक्त प्रकरण संख्या 137/2020 मे जारी स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट की प्रमाणित प्रति एवं उस पर थाना खण्डार से पूर्व गिरफ्तारी वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति। 7. यह है कि ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार की जमाबन्दी विक्रम सम्वत 2074–77 एवं सम्वत् 2078 मे ख0न0 544 के विभिन्न ख0न0 544/1 से 544/12 एवं नये नम्बर 823/544, 819/544, 821/544, 822/544 ... खसरा मय रकबा की प्रमाणित प्रति तथा उक्त ख0न0 के संबंध में प्रेषित ... जिला अभिलेखागार के प्राप्तांक एवं विवरण की प्र0प्रति। Signature Not Verified Digitally signed by Rajendra Kishan Date: 2021.10.22 16:43:09 IST Reason: SelfAttested प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना ... सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/राजस्थान सम्पर्क पोर्टल/सतर्कता/समाधान/भू0अभिलेख अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/राजस्थान सम्पर्क पोर्टल/सतर्कता/समाधान/भू0अभिलेख अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक

रीडर/21/1677 दिनांक 23.6.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 5 व 6 की सूचना हेतु तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 703 दिनांक 11.5.2021 से 48/–रू शुल्क जमा कराने एवं 817 दिनांक 18.6.2021 से 20/–रू शुल्क जमा करवाने बाबत लिखा जा चुका था। तथा बिन्दु संख्या 6 की आंशिक सूचना नायब तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 1045 दिनांक 22.6.2021 से तथा बिन्दु संख्या 7 की सूचना जरिये पत्रांक 436 दिनांक 7.6.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 3 की सूचना प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग के पत्रांक 698 दिनांक 25.5.2021 से अपीलान्ट को निःशुल्क भिजवायी जा चुकी है। समाधान अनुभाग से संबधित बिन्दु संख्या 4 की सूचना प्रतिलिपि अनुभाग के पत्रांक 904 दिनांक 21.6.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्थान सम्पर्क पोर्टल अनुभाग के पत्रांक प.रासपो (84)/सू.का.अ./2019/2499 दिनांक 13.5.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी तथा बिन्दु संख्या 1 की सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग के पत्रांक 847 दिनांक 1.7.2021 एवं बिन्दु संख्या 7 की सूचना के कम में प्र0अ0 भू0अभिलेख के पत्रांक प.14/7/3/सूकाअ/भू.अ./2021/3862 दिनांक 15.7.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि सम्वत् 2074 से 77 एवं 2078 की जमाबन्दी जिला अभिलेखागार में उपलब्ध नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार खण्डार को जरिये पत्रांक 796 दिनांक 22.4.2021 से अन्तरित किया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 12.4.2021 में चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या ,2,3,4,7, एवं 6 की आंशिक सूचना की सूचना तहसीलदार/नायब तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी राजस्थान सम्पर्क पोर्टल/सतर्कता/समाधान/भू0अभिलेख अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 5 व 6 की सूचना हेतु तहसीलदार खण्डार द्वारा शुल्क जमा करवाने बाबत लिखा गया था यदि अपीलान्ट द्वारा अभी तक शुल्क जमा नही करवाया है तो अब शुल्क जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। बिन्दु संख्या 7 की सूचना से संबंधित रिकार्ड जिला अभिलेखागार मे उपलब्ध नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तत्समय तहसीलदार खण्डार को अन्तरित किये जाने पर बिन्दु संख्या 7 की सूचना तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना के कम में उपजिला कलेक्टर खण्डार से प्राप्त रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को निःशुल्क भिजवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:09 IST
Reason: SelfAttested